Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 26 रायपुर, मंगलवार 17 फरवरी 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

महिला सहित 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में मार्च महीने से पहले नक्सल विरोधी अभियान तेज हो गए हैं. बड़ी संख्या में नक्सली भी संगठन छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं. सुकमा जिले में मंगलवार को जवानों को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली. 22 माओवादियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें 21 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली जगरगुण्डा, पेद्दाबोडकेल और मोरपल्ली जैसे इलाके में सक्रिय है. इस सफलता में डीआरजी सुकमा, जिला बल सुकमा, रेंज फिल्ड टीम (आरएफटी) जगदलपुर और सीआरपीएफ 02, 74, 111, 223, 227 और कोबरा 201 वाहिनी के आसुचना शाखा की विशेष भूमिका रही है. जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनमें 1. गोंचे हुंगा पिता गोंचे आयता ङ्क ग्राम एलमपल्ली जीआरडी मिलिशिया कमांडर, निवासी एलम्पल्ली (बेडमा) थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा.2. मड़कम बण्डी पिता धुरवा ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 3. माड़वी हांदा पिता स्व. माड़वी हिडमा ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भिम्मापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 4. मड़कम नन्दा पिता स्व. मल्ला ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 5. मड़कम रामा पिता मड़कम बुधरा ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 6. मड़कम सोमड़ा पिता स्व. मड़कम बया ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 7. मिडियाम आयता पिता स्व. मिडियाम हुर्रा ङ्क बेड़मा आरपीसी जंगल कमेटी अध्यक्ष, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा. 8. मड़कम चैतु पिता स्व. मड़कम सुक्का ङ्क बेड़मा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी वेडमा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा. 9. माड़वी हुंगा पिता बुधरा ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल करकापारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 10. लक्ष्मी मुचाकी पिता दूला ङ्क रेवाली/पोदेम पंचायत केएएमएस सदस्या, निवासी पोरदेम गोटगुड़ेम थाना गादीरास जिला सुकमा. 11. गोंचे उर्फ मड़कम हुंगा पिता बण्डी उर्फ बुड़ता ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी तिम्मापुरम पटेलपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 12. माड़वी दूला पिता जोगा ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी पेद्दाबोडकेल थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 13. कुंजाम केसा पिता स्व. मंगडू ङ्क बैयमपल्ली आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष, निवासी उरसांगल इत्तापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा. 14. वेको विज्जा पिता भीमा उर्फ बक्का ङ्क गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा. 15. वेको हड़मा पिता वेको जोगा ङ्क गोण्डेरास पंचायत मिलिशिया सदस्य, निवासी नेण्डीपारा गोण्डेरास थाना फुलबगड़ी जिला सुकमा. 16. मुचाकी सुक्का पिता स्व. नंदा ङ्क गोगुण्डा पंचायत जनताना सरकार उपाध्यक्ष, निवासी गोगुण्डा उसकोनपारा थाना केरलापाल जिला सुकमा. 17. माड़वी जोगा पिता स्व. भीमा ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी करकनगुड़ा सरपंचपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 18. मड़कम पाण्डू पिता स्व. हुंगा ङ्क पेद्दाबोडकेल आरपीसी डीएकेएमएस उपाध्यक्ष, निवासी करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा. 19. नुप्पो देवा पिता गगा ङ्क मोरपल्ली आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी कुमोड़तोंग पेरमापारा थाना पामेड़ जिला सुकमा. 20. भोगाम दसरू उर्फ सोना पिता बोटी ङ्क बैयमपल्ली आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी उरसांगल बक्कापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा. 21. सलवम लखमा पिता भीमा ङ्क जोनागुड़ा आरपीसी मिलिशिया सदस्य, निवासी जोन्नागुड़ा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा और 22. जगत उर्फ मुचाकी भीमा पिता जोगा ङ्क बेड़मा आरपीसी डीएकेएमएस सदस्य, निवासी दुरमा नयापारा थाना जगरगुण्डा जिला सुकमा शामिल हैं।

आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगा पुनर्वास नीति का लाभ

आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगी. मुख्यधारा में लौटने पर हर नक्सली को 50-50 हजार रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि दी गई. इन्हें आगे अन्य सुविधाएं दी जाएंगी.

पर्यटन स्थलों के विकास और सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध : साय

मुख्यमंत्री ने झुमका जलाशय में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट सुविधाओं का किया अवलोकन, ओपन थिएटर का किया लोकार्पण

रायपुर, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरिया प्रवास के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बैकुंठपुर स्थित प्रसिद्ध झुमका पर्यटन स्थल में निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने झुमका जलाशय में बोटिंग करते हुए क्षेत्र के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया तथा यहां विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय ने झुमका जलाशय में शिकारा पर सवार होकर नौका विहार किया। चारों ओर हरियाली, शांत जलराशि और कमल के फूलों से सजा यह रमणीय स्थल अब एक आकर्षक पिकनिक स्पॉट के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने यहां बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स सहित विकसित पर्यटन गतिविधियों की जानकारी ली और व्यवस्थाओं की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने लगभग 27 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओपन थिएटर का लोकार्पण किया।500 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला यह ओपन थिएटर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए नया केंद्र बनेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि झुमका जलाशय केवल कोरिया जिले की पहचान ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के विकास, सौंदर्यीकरण और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थापित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटकों की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए तथा स्थानीय युवाओं को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएँ। इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैयालाल राजवाड़े, संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, आईजी दीपक झा, कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार कुर्रे सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

ब्रेकिंग न्यूज

आज सूर्य ग्रहण

नई दिल्ली, 17 फरवरी (न्यूज चैनल)। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण दोपहर 3 बजकर 26 मिनट पर आरंभ होगा और सायं 7 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। यह खगोलीय घटना ज्योतिष और धर्म दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हालांकि भारत में इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं माना जाएगा। यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के कई हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस अद्भुत खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकेंगे। कुछ स्थानों पर यह आंशिक तो कुछ जगहों पर वलयाकार रूप में भी दिखाई दे सकता है। यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी भाग में दृश्य नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार जिस देश में ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां उसका धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव मान्य नहीं होता। इसी कारण भारत में इस ग्रहण का सूतक काल लागू नहीं होगा।

बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रा फंदे पर लटकी, सदमे में परिवार

दुर्ग, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बोर्ड परीक्षा देने से पहले एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया. वह सोमवार को परीक्षा का एडमीट कार्ड लेकर घर आई, रात 12 बजे तक बहनों के साथ पढ़ाई भी की, लेकिन सुबह उसकी लाश फंदे पर लटकी हुई मिली. यह दृश्य सबसे पहले छात्रा की मां ने देखा. घबराई मां की चीख सुनकर घर के अन्य सदस्य भी कमरे से बाहर आए. मामला जामुल थाना इलाके के घासीदास नगर का है. मृतिका की बहनों का कहना है कि नारायणी सोमवार को दोपहर 3 बजे बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड लेकर घर आई थी. नारायणी अपने एग्जाम को लेकर पूर्ण तरह से आश्वस्त थी. उसे अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा था. बड़ी बहन ने बताया कि रात को उसने बहनों के साथ 12 बजे तक पढ़ाई भी की, लेकिन सुबह जब उनकी मां उठी तो नारायणी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी. नारायणी को इस हालत में देखकर मां घबराकर चीख उठी, जिसके बाद माता की आवाज सुनकर युवती के पापा और बहने भी उठ गए.

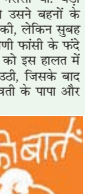

चूहा- सुनती हो, बांग्लादेश में आज तारिक अनवर की सरकार पदारूढ़ हो गई।

चुहिया- हां जी, फिर क्यों मोहम्मद युनुस देश छोड़कर पेरिस में बसने की तैयारी कर रहे हैं।

सूदखोर हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर फिर गिरफ्तार

रायपुर, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। राजधानी रायपुर के चर्चित हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर को कोतवाली पुलिस ने फिर से गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2019 के एक पुराने मामले में कोर्ट से जारी स्थायी वारंट के आधार पर की गई है। गिरफ्तार होने के बाद रोहित तोमर को जेल भेजा गया है।

रोहित तोमर और उनके भाई वीरेंद्र तोमर पर राजधानी में मारपीट, वसूली, दुष्कर्म और हत्या जैसे करीब दो दर्जन गंभीर अपराध दर्ज हैं। 2013 के हत्या के मामले में दोनों भाइयों की हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज हो चुकी है। इसके अलावा, लगातार मिल रही सूदखोरी की शिकायतों के मद्देनजर रायपुर पुलिस ने रोहित और वीरेंद्र तोमर के खिलाफ आठ मामले दर्ज किए थे। इस दौरान दोनों भाई फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने वीरेंद्र तोमर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि रोहित तोमर पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हालांकि, इस बीच रोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिली थी। अब 7 साल पुराने मामले में रोहित तोमर को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाने में वर्ष 2019 में रोहित के खिलाफ धारा 327, 384 और 506 के तहत मामला दर्ज था। यह मामला जान से मारने की धमकी, मारपीट और प्रताड़ना से संबंधित था। पेशी में गैरहाजिरी के कारण अदालत ने रोहित तोमर के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था। डीसीपी उमेश गुप्ता ने इस वारंट की समीक्षा की और एसीपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस ने स्थायी वारंट के आधार पर रोहित तोमर को गिरफ्तार किया। वारंट की तामीली के बाद रोहित को अदालत में पेश किया गया और अदालत के आदेश पर उसे पुनः जेल में दाखिल कराया गया है। रायपुर पुलिस ने मामले में साफ किया है कि किसी भी आरोपी को अपराध करने से बचाने की छूट नहीं दी जाएगी और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बांग्लादेश को 30 साल में पहला पुरुष पीएम मिला

नए सांसदों ने ली शपथ

नई दिल्ली, 17 फरवरी (न्यूज चैनल)। बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता के दौर का अंत करते हुए 13वीं राष्ट्रीय संसद के नवनिर्वाचित सांसदों ने मंगलवार, 17 फरवरी को शपथ ग्रहण कर ली। राजधानी ढाका स्थित संसद भवन के साउथ प्लाज़ा में आयोजित इस समारोह में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एएमएम नसीरुद्दीन ने सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। निर्वाचन आयोग के अनुसार, आम चुनाव में बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 297 में से 211 सीटों पर जीत दर्ज की।

दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी गठबंधन को 77 सीटें मिलीं, जबकि कुछ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग को चुनाव लड़ने से वंचित रखा गया था। संविधान के प्रावधानों के तहत स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सांसदों को शपथ दिलाई। सुरक्षा के कड़े इंतज़ामों के बीच हुए इस समारोह में एक हजार से अधिक देशी-विदेशी अतिथि शामिल हुए। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान आज औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह शपथ ग्रहण परंपरा से हटकर संसद परिसर के साउथ प्लाज़ा में होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दीन नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। बीएनपी ने संसद भवन में संसदीय दल की बैठक बुलाकर अपने नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी की नीति-निर्धारण समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने स्पष्ट किया कि बहुमत दल के नेता के रूप में तारिक रहमान ही सरकार का नेतृत्व करेंगे। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनुस की जगह लेंगे, जिन्होंने अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद कार्यभार संभाला था।

कोका-कोला बनाने वाली नर्मदा ड्रिंक्स में आयकर विभाग का छापा

बिलासपुर, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिरगिट्टी स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने दबिश दी है. इस फैक्ट्री में कोका कोला कंपनी के प्रोडक्ट तैयार किया जाता है. यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति से जुड़ी हुई है. फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की 6 सदस्यीय टीम सिरगिट्टी स्थित नर्मदा ड्रिंक्स फैक्ट्री पहुंची. बताया जा रहा है कि आईटी विभाग ने और भी विभिन्न राज्यों के फैक्ट्रियों पर भी छापा मारा है. मौके पर मौजूद अधिकारी आय से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं. फैक्ट्री के बाहर सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात हैं.

एआई इम्पैक्ट समिट : जनहित और सबके फायदे के लिए हो एआई का इस्तेमाल

पीएम मोदी ने बताया शिखर सम्मेलन का उद्देश्य

नई दिल्ली, 17 फरवरी (न्यूज चैनल)। दिल्ली में आयोजित पांच दिवसीय इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि एआई का इस्तेमाल सभी के फायदे के लिए कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, बुद्धिमत्ता, तर्कसंगतता और निर्णय लेने की क्षमता विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जनता के लिए उपयोगी बनाती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य यह पता लगाना भी है कि एआई का उपयोग सभी के लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है।%

16 फरवरी से शुरू हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों, मंत्रियों, वैश्विक प्रौद्योगिकी नेताओं, प्रख्यात शोधकर्ताओं, बहुपक्षीय संस्थानों और उद्योग जगत के हितधारकों को एक मंच पर लाया गया ताकि समावेशी विकास को आगे बढ़ाने, सार्वजनिक प्रणालियों को मजबूत करने और सतत विकास को सक्षम बनाने में एआई की भूमिका पर विचार-विमर्श किया जा सके।

60 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रैक्टर, ड्राइवर की मौके पर ही मौत

कवर्धा, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। कवर्धा जिले के पीपरटोला घाट में बड़ी सड़क दुर्घटना सामने आई है. तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर 60 फीट गहरी खाई में गिर गया. हादसे में चालक की ट्रैक्टर में दबकर मौत हो गई. मृतक की पहचान बिरजूनगर निवासी मनीराम बैगा के रूप में हुई. वाहन में पांच नाबालिग भी सवार थे, जिनमें एक को गंभीर चोटें आई है।

जानकारी के मुताबिक, घटना कुकदूर थाना क्षेत्र के पीपरटोला घाट की है. सोमवार को घाटी पार करने के दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया. ट्रैक्टर में चालक और 5 नाबलिग सवार थे. हादसे में चालक की दबकर मौके पर ही मौत हो गई.

सौम्या चौरसिया ने लगाई एक साथ दो जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने ईडी और राज्य शासन से 20 तक मांगा जवाब

बिलासपुर, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने कोयला घोटाले के बाद शराब घोटाला केस में हाई कोर्ट में दो जमानत याचिकाएं लगाई है. मामले में ईडी और राज्य शासन ने जवाब के लिए 10 दिन का समय मांगा, जिसे जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने नामंजूर करते हुए 20 फरवरी से पहले जवाब मांगा है।

बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को पहले कोयला घोटाले में गिरफ्तार किया गया था. लंबे समय तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दिया था. अब ईडी और आर्थिक अपराध शाखा ने आबकारी घोटाले में गिरफ्तार किया है। सौम्या चौरसिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को सौम्या चौरसिया को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया. जिसके बाद सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की है।

सौम्या की वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां नई-नई एफआईआर दर्ज कर बार-बार गिरफ्तारी कर रही हैं. अब तक उन्हें 6 बार हिरासत में लिया जा चुका है. यह सब राजनीतिक षडयंत्र के तहत किया जा रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पहले हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करें. साथ ही हाईकोर्ट को उनकी याचिका पर प्राथमिकता से सुनवाई करने कहा है। सुनवाई के दौरान ईडी और राज्य शासन की तरफ से इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया. जिसे हाई कोर्ट ने नामंजूर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया है. जवाब के लिए समय दिया गया तो यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. इसके साथ ही 20 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई से पहले शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है।

पूर्व सेवा को नहीं किया जा सकता नजरअंदाज, पीजीटी/टीजीटी अतिथि शिक्षकों को सेवा में लेने का दिया आदेश

हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

बिलासपुर, 17 फरवरी (हाईवे चैनल)। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पदों के लिए नेशनल एजुकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा जारी केंद्रीय भर्ती प्रक्रिया में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की पूर्व सेवाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में समुचित महत्व दिया जाए तथा उनके अनुभव के लिए यथोचित अंक प्रदान कर उनकी नियुक्ति पर विचार किया जाए.

इस प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने पक्ष प्रस्तुत किया. याचिकाकर्ता वर्ष 2016 से 2024 के मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में स्थित ईएमआरएस विद्यालयों में पीजीटी एवं टीजीटी के रूप में कार्यरत रहे हैं. इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके प्रसाद ने फैसला सुनाया. न्यायालय ने अपने आदेश में यह स्वीकार किया कि अनेक याचिकाकर्ताओं ने छह वर्ष से अधिक अवधि तक दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक शिक्षण कार्य किया है, और विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि अस्थायी अथवा अतिथि सेवा के आधार पर नियमितीकरण का कोई स्वचालित या वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं होता, तथापि न्याय, समानता और प्रशासनिक निष्पक्षता की दृष्टि से उनकी दीर्घकालीन सेवा को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं होगा. इसी संदर्भ में न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि ह्रश्वस्नस्न तथा राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ताओं की पूर्व सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुभव के आधार पर उपयुक्त अंक/वेटेज प्रदान करें तथा पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर उनकी नियुक्ति पर विचार करें. न्यायालय ने यह रेखांकित किया कि वर्षों तक की गई सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता और उसका प्रभावी मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश स्वतः नियमितीकरण या प्रत्यक्ष नियुक्ति का निर्देश नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं न्यायसंगत हो तथा पूर्व में सेवाएँ दे चुके शिक्षकों को उनके अनुभव का वास्तविक लाभ प्राप्त हो।